# कृषि उपज समिति, कांगडा जिला कांगडा (हिमाचल प्रदेश) के वर्ष 2013–14 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## भाग–एक

**1 प्रारम्भिक :–**

**(क)** कृषि उपज समिति, कांगडा हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2014 के लेखों का अंकेक्षण तथा निरीक्षण हिमाचल प्रदश कृषि एवम् औद्यानिकीय उपज विपणन विधेयक, 2005 की धारा 48.2 के अनुसार निवासी लेखा परीक्षा योजना के अन्तर्गत किया गया। उपरोक्त अवधि के दौरान कृषि उपज समिति, कांगडा में श्री एन.के. धीमान सचिव के पद पर कार्यरत रहे।

**(ख) आय व व्यय के मुख्य साधन :–**

कृषि उपज समिति, कांगडा के आय के मुख्य साधन मण्डी शुल्क, दुकानों का किराया, जमा राशियों पर अर्जित ब्याज व व्यापारियों से जुर्माने की वसूलियां इत्यादि शामिल है। समिति द्वारा वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान मुख्यतः संस्थापना (Establishment), निर्माण कार्यों, गाडियों के रख–रखाव, लेखन सामग्री के मुद्रण, मानदेय तथा Legal Charges इत्यादि मदों पर व्यय किया गया है।

**(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–**

| क्र0सं0 | पैरा सं0 | विवरण | राशि लाखों में |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 (ख) | बैंक द्वारा सावधि जमा योजना पर कम ब्याज क्रेडिट दिया जाना | 0.61 |
| 2 | 6 | निर्माण कार्यों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना | 7.81 |
| 3 | 7 | दुकानों के लम्बित किराये के रूप में वसूली न करने बारे | 9.92 |
| 4 | 8 | मार्केट यार्ड कांगडा में निर्मित छः कमरों के किराये की वसूली न करना | 4.40 |
| 5 | 9 | चैक पोस्ट पर दर्ज आयातित मूल्य के आधार पर मण्डी शुल्क की कम राशि वसूलने बारे | 1.09 |
| 6 | 13 | विभिन्न व्यापारियों से मण्डी शुल्क के रूप में राशि की वसूलो करने बारे | 3.17 |

**(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–**

कृषि उपज समिति, कांगडा के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में लम्बित पैरों का विवरण परिशिष्ट **"A"** पर दिया गया है ।

## भाग–दो

**2 वर्तमान अंकेक्षणः–**

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2014 के लेखों का अंकेक्षण निवासी अकेंक्षण योजना कृषि उपज समिति कागंड़ा में किया गया। उक्त अवधि के दौरान श्री मुकेश कुमार स्नेही, (अनुभाग अधिकारी) एवं श्री राजवीर सिंह, (अनुभाग अधिकारी) निवासी अंकेक्षण योजना के प्रभारी के रूप में कार्यरत्त रहे।

The audit report has been prepared on the basis of the informations furnished and made available by the Controlling Officer of the institution. The Local Audit Department disclaims any responsibility for any misinformation or non submission of information on the part of auditee.

**3 अंकेक्षण शुल्क :–**

निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति कांगडा क वर्ष 2013–14 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹617516/– बनता है, जिसे बैंक ड्राफ्ट संख्या 4314 (यू0वी0आई0–काँगड़ा) दिनाँक 28.10.2014 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित किया गया।

**4 वित्तीय स्थिति :–**

**(क)** समिति द्वारा प्रस्तुत कृषि उपज समिति की वर्ष 2013–14 की वित्तिय स्थिति निम्न प्रकार से है।

| | |
|---|---|
| आरम्भिक शेष | 97014527.44 |
| आय | 43070366.38 |
| जोड | 140084893.82 |
| व्यय | 35446218.98 |
| **अन्तिम शेष** | **104638674.84** |

**(ख) उक्त वर्णित अन्तिम शेष का विवरण रोकड़ वही/वित्तीय स्थिति के अनुसार निम्न प्रकार से हैः–**

**(परिशिष्ट "क")**

| क्रमांक | विवरण | राशि |
|---|---|---|
| 1 | के0सी0सी0कांगडा खाता न02001096 | 35215.90 |
| 2 | के.सी.सी.पालमपुर खाता न.388 | 32744.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | एच.जी.बी.देहरा खाता न.87860101830451 | 517856.00 |
| 4 | यू.बी.बाई.कांगडा खाता न.391902010005999 | 2125580.83 |
| 5 | एच.जी.बी.बरण्डा खाता न.0134055 | 2802506.00 |
| 6 | क.सी.सी.डमटाल (037003091) | 96163.67 |
| 7 | सेन्ट्रल बैंक इण्डिया कांगडा 1787001206 | 56984.00 |
| 8 | यूको बैंक कांगडा 10230110013588 | 40111.00 |
| 9 | पंजाब नैशनल बैंक पालमपुर 2934000103061146 | 307891.15 |
| 10 | पंजाब नैशनल बैंक डमटाल 39194 | 2733587.29 |
| 11 | आई0डी0वी0आई0 कॉंगड़ा 1159101000015084 | 86130.00 |
| 12 | हस्तगत राशि | 323753.00 |
| 13 | सावधिक जमा के अन्तर्गत निवेशित राशि | 95480152.00 |
| | **कुल योग** | **104638674.84** |

**(ग) बैंक पास बुक के अनुसार अन्तिम शेष का विवरण निम्न है :–**

| कमांक | विवरण | राशि |
|---|---|---|
| 1 | के.सी.सी.कांगडा खाता न.2001096 | 35215.90 |
| 2 | के.सी.सी.पालमपुर खाता न.388 | 32744.00 |
| 3 | एच.जी.बी.देहरा खाता न.87860101830451 | 517856.00 |
| 4 | यू.बी.बाई.कांगडा खाता न.391902010005999 | 2125580.83 |
| 5 | एच.जी.बी.बरण्डा खाता न.0134055 | 2742981.00 |
| 6 | के.सी.सी.डमटाल 092DP037003091 | 96163.67 |
| 7 | सेन्ट्रल बैंक इण्डिया कांगडा 1787001206 | 56984.00 |
| 8 | यूको बैंक कांगडा 10230110013588 | 40111.00 |
| 9 | पंजाब नैशनल बैंक पालमपुर 2934000103061146 | 307891.15 |
| 10 | पंजाब नैशनल बैंक डमटाल 39194 | 86130.00 |
| 11 | आई0डी0वी0आई0 कॉंगड़ा 1159101000015084 | 2733587.29 |
| 12 | सावधिक जमा के अन्तर्गत निवेशित राशि | 95480152.00 |
| | **योग** | **104255396.84** |

## बैंक समाधान विवरणिका

| | | |
|---|---|---|
| | **रोकड वही अनुसार अन्तिम शेष** | **104638674.84** |
| **माईनसः–** | | |
| (i) | चैक जो बैंक में जमा करवाए गए लेकिन सम्बन्धित बैंक खातों में 31.3.13 तक केडिट नही हुए। एच.जी.बी. बरण्डा (परिशिष्ट–ख सलंग्न) | 59525.00 |
| (ii) | हस्तगत राशि | 323753.00 |

| | |
|---|---|
| **बैंक पास बुक के अनुसार अन्तिम भोष** | **104255396.84** |

## 5 निवेशः–

**(क)** कृषि उपज समिति, कांगडा द्वारा उपलब्ध करवाये गये विवरण के अनुसार दिनांक 31.3.2014 तक सावधि जमा योजना में ₹95480152/– निवेशित हैं, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ग"** पर भी दिया गया है।

### (ख) बैंक द्वारा सावधि जमा योजना पर ₹61927/– का कम ब्याज क्रेडिट दिया जानाः–

सावधि जमा योजना से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में यह पाया गया कि कुछ एक प्रकरणों में बैंको द्वारा सावधि जमा की राशियों पर ₹61927/– का कम ब्याज क्रेडिट दिया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

| Date | FDR No/Bank | Amount | rate | period | Required interest | Interest received | Less interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.7.12 | 1102/PNB Kangra | 5458494 | 8.75% | 1year | 493520 | 478840 | 14680 |
| 14.7.12 | 13231/SBI Palampur | 2383406 | 9% | 1year | 221855 | 205860 | 15995 |
| 4.7.12 | 180306/HGB Dehra | 1155411 | 9.50% | 1year | 113737 | 90318 | 23419 |
| 31.1.13 | 180200/HGB Dehra | 968441 | 9% | 1year | 90146 | 82313 | 7833 |
| | | | | | **Total** | | **₹61927** |

अतः देय ब्याज से कम क्रेडिट दिये गए ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज सहित सम्बन्धित बैंको से बसूलने हेतु समुचित पग उठायें जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

## 6 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ₹781190/– के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

वर्तमान अंकेक्षण अवधि 2013–14 के दौरान कृषि उपज समिति काँगड़ा द्वारा विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु विभिन्न विभागों के पास डिपोजिट वर्क के रूप में राशियाँ जमा करवाई

गई जिसमें से कुछ एक प्रकरणों में उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

| क्र0सं0 | विभाग का नाम | ड्राफ्ट संख्या व दिनाँक | राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | Assistant Engineer, HPSEB Nurpur | 113248 dated 23.10.13 | 333090 |
| 2 | Executive Engineer, I&PH Dharamshala | 113249 dated 23.10.13 | 310800 |
| 3 | Assistant Engineer, HPSEB Jaisinghpur | 648306 dated 26.12.13 | 137300 |
| | | **Total** | **781190** |

अतः उपरोक्त जमा करवाई गई राशियों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभागों से प्राप्त करके अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत किये जाऐं।

## 7 दुकानों के लम्बित किराये के रूप में ₹992042/– की वसूली न करने बारेः–

किराये से सम्बन्धित मांग एवम् संग्रह (Demand and Collection Register) रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि उप सब्जी मण्डी जयसिंहपुर के निम्न वर्णित दुकानदारा से किराये के रूप में 31.3.2011 को ₹984842/– वसूली हेतू लम्बित है जिससे स्पष्ट होता है कि कृषि उपज समिति, कांगडा किराए की उगाही हेतू गम्भीर नही है। इसके अतिरिक्त अन्य दुकानों के किराए के रूप में भी दिनाँक 31.3.2014 को ₹7200/– की वसूली की जानी शेष है। अतः निम्न विवरणानुसार लम्बित राशियों की वसूली हेतू तुरन्त यथोचित पग उठाये जाए ताकि समिति की आय की उगाही में कोताही न हो तथा वसूली न होने के कारण ब्याज के रूप में हाने वाली हानि से भी बचा जा सके। अनियमितता का यह प्रकरण प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, शिमला–2 के विशेष ध्यानार्थ भी आवश्यक एवं उचित कार्रवाई हेतू लाया जाता है।

| क्र0स0 | व्यापारी का नाम | मासिक किराया | अवधि | राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मै0 लक्ष्मी शिवा फ्रूट कम्पनी दुकान न0 1 जयसिंहपुर | 1193 | 7/05 से 6/08 36 मास | 42948 |
| | –यथोपरि– | 1312 | 7/08 से 6/11 36 मास | 47232 |
| | –यथोपरि– | 1443 | 7/11 से 11/11 5 मास | 7215 |
| 2 | मै0 शर्मा फ्रूट कम्पनी दुकान न0 2 जयसिंहपुर | 1193 | 10/04 से 9/07 36 मास | 42948 |
| | –यथोपरि– | 1312 | 10/07 से 9/10 36 मास | 47232 |
| | –यथोपरि– | 1443 | 10/10 से 11/11 14 मास | 20202 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | मै0 तमन्ना फ्रूट कम्पनी दुकान न0 3 जयसिंहपुर | 1193 | 9/04 से 8/07 36 मास | 42948 |
| | –यथोपरि– | 1312 | 9/07 से 8/10 36 मास | 47232 |
| | –यथोपरि– | 1443 | 9/10 से 11/11 15 मास | 21645 |
| 4 | मै0 सोनू फ्रूट कम्पनी दुकान न0 4 जयसिंहपुर | 1193 | 6/05 से 5/08 36 मास | 42948 |
| | –यथोपरि– | 1312 | 6/08 से 5/11 36 मास | 47232 |
| | –यथोपरि– | 1443 | 6/11 से 11/11 6 मास | 8658 |
| 5 | मै0 ठाकुर फ्रूट कम्पनी दुकान न0 5 जयसिंहपुर | 1193 | 6/05 से 5/08 36 मास | 42948 |
| | –यथोपरि– | 1312 | 6/08 से 5/11 36 मास | 47232 |
| | –यथोपरि– | 1443 | 6/11 से 11/11 6 मास | 8658 |
| 6 | मै0 जानू फ्रूट कम्पनी दुकान न0 6 जयसिंहपुर | 1193 | 8/05 से 7/08 36 मास | 42948 |
| | –यथोपरि– | 1312 | 8/08 से 7/11 36 मास | 47232 |
| | –यथोपरि– | 1443 | 8/11 से 11/11 4 मास | 5772 |
| 7 | श्री अरविन्द जग्गी कैंटीन जयसिंहपुर | 500 | 9/04 से 8/07 36 मास | 18000 |
| | –यथोपरि– | 550 | 9/07 से 8/10 36 मास | 19800 |
| | –यथोपरि– | 605 | 9/10 से 11/11 15 मास | 9075 |
| 8 | मै0 बादशाह फ्रूट कम्पनी बूथ न0 2 जयसिंहपुर | 700 | 9/04 से 8/07 36 मास | 25200 |
| | –यथोपरि– | 770 | 9/07 से 8/10 36 मास | 27720 |
| | –यथोपरि– | 847 | 9/10 से 11/11 15 मास | 12705 |
| 9 | मै0 हरीश फ्रूट कम्पनी बूथ न0 3 जयसिंहपुर | 700 | 10/04 से 9/07 36 मास | 25200 |
| | –यथोपरि– | 770 | 10/07 से 9/10 36 मास | 27720 |
| | –यथोपरि– | 847 | 10/10 से 11/11 14 मास | 11858 |
| 10 | म0 गणेश फ्रूट कम्पनी बूथ न0 4 जयसिंहपुर | 700 | 10/04 से 9/07 36 मास | 25200 |
| | –यथोपरि– | 770 | 10/07 से 9/10 36 मास | 27720 |
| | –यथोपरि– | 847 | 10/10 से 11/11 14 मास | 11858 |
| 11 | मै0 शिवा फ्रूट कम्पनी बूथ न0 5 जयसिंहपुर | 700 | 10/04 से 9/07 36 मास | 25200 |
| | –यथोपरि– | 770 | 10/07 से 9/10 36 मास | 27720 |
| | –यथोपरि– | 847 | 10/10 से 11/11 14 मास | 11858 |
| 12 | मै0 हरीकृष्ण फ्रूट कम्पनी बूथ न0 6 जयसिंहपुर | 700 | 10/04 से 9/07 36 मास | 25200 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | –यथोपरि– | 770 | 10/07 से 9/10 36 मास | 27720 |
| | –यथोपरि– | 847 | 10/10 से 11/11 14 मास | 11858 |
| 13 | एरिया मैनेजर हिमफैड नगरोटा बगवाँ जिला काँगड़ा | –– | 2012–13 | 4800 |
| | | | 2013–14 | 2400 |
| | | | **कुल योग** | **₹99204<br>2** |

**8 मार्केट यार्ड कांगडा में निर्मित छः कमरों के किराये की ₹440160/– की वसूली न करनाः–**

आडिट द्वारा अभिलेख की जांच करने के उपरान्त पाया गया कि मार्केट यार्ड कागंड़ा में दुकानों के उपर छः कमरों का निर्माण किया गया है तथा कृषि उपज समिति की दिनांक 25.4.07 की बैठक के प्रस्ताव संख्या 10 के अनुसार माह 5/07 से प्रत्येक दुकानदार से ₹1200/– मासिक की दर से तथा प्रत्येक तीन वर्ष उपरान्त 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ किराया वसूलना अपेक्षित था परन्तु कृषि उपज समिति द्वारा निम्नविवरणानुसार किराए की ₹440160 की कम वसूली की गई है।

| व्यापारी का नाम | 31.3.13 तक बकाया किराया | मासिक किराया | अवधि | राशि | 31.3.14 तक वसूली गई राशि | 31.3.14 को वसूली योग्य राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मैसर्ज लक्ष्मी फ्रूट कम्पनी | 89400 | 1320 | 4/13 1 मास | 1320 | | |
| | | 1440 | 5/13 से 3/14 11 मास | 15840 | | |
| | | | **कुल** | **106560** | **33200** | **73360** |
| मैसर्ज कुजजीत फ्रूट एजैंसी | 61000 | 1320 | 4/13 1 मास | 1320 | | |
| | | 1440 | 5/13 से 3/14 11 मास | 15840 | | |
| | | | **कुल** | **78160** | **4800** | **73360** |
| मैसर्ज हिमाचल फ्रूट एजैंसी | 61000 | 1320 | 4/13 1 मास | 1320 | | |
| | | 1440 | 5/13 से 3/14 11 मास | 15840 | | |
| | | | **कुल** | **78160** | **4800** | **73360** |
| मैसर्ज मनोहर सिंह इन्द्रजीत | 61000 | 1320 | 4/13 1 मास | 1320 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सिंह | | | | | | |
| | | 1440 | 5/13 से 3/14 11 मास | 15840 | | |
| | | | **कुल** | **78160** | **4800** | **73360** |
| मैसर्ज कृष्णा फ्रूट कम्पनी | 61000 | 1320 | 4/13 1 मास | 1320 | | |
| | | 1440 | 5/13 से 3/14 11 मास | 15840 | | |
| | | | **कुल** | **78160** | **4800** | **73360** |
| मैसर्ज कांगडा फ्रूट एजैंसी | 61000 | 1320 | 4/13 1 मास | 1320 | | |
| | | 1440 | 5/13 से 3/14 11 मास | 15840 | | |
| | | | **कुल** | **78160** | **4800** | **73360** |
| | | | | | **योग** | **₹440160** |

अतः विपणन समिति कांगड़ा द्वारा उक्त फर्मों से बकाया किराये की वसूली दण्ड ब्याज सहित करने हेतु शीघ्र ठोस पग उठाए जाने सुनिश्चित किए जाएं तथा अनुपालना स अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

## 9 चैक पोस्ट पर दर्ज आयातित मूल्य के आधार पर मण्डी शुल्क की ₹109700/– की कम वसूली करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान जांच में पाया गया कि कृषि उपज समिति द्वारा निम्नलिखित आढतियों एवं अन्य पंजीकृत व्यापारियों से उनके द्वारा चैक पोस्टों पर दर्ज आयातित मूल्य के आधार पर कम मण्डी शुल्क वसूला गया है। इस सन्दर्भ में निवासी अंकेक्षण योजना द्वारा अपनी विभिन्न अधियाचनाओं द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा को समय–समय पर अवगत करवाया गया है, परन्तु उनके द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः इस सन्दर्भ में आन्तरिक जांच करके इन देय वसलियों को सम्बन्धित व्यापारियों से शीघ्र वसूलना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

| **अवधि** | **फर्म का नाम** | **वसूली योग्य राशि** | **वसूली गई राशि** | **कम वसूली गई राशि** |
|---|---|---|---|---|
| 3/13 | मैसर्ज पंकज फ्रूट कम्पनी, कांगडा | 30983 | 7920 | 23063 |
| 3/13 | मैसर्ज हिमाचल फ्रूट एजैन्सी, कांगडा | 12705 | 9136 | 3569 |
| 11/12 | मैसर्ज ब्रजेश्वरी केला सप्लायर, | 14398 | 9561 | 4837 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| से 3/13 | काँगड़ा | | | |
| 4/13 | मैसर्ज लक्ष्मी फ्रूट कम्पनी बैजनाथ | 7070 | 2292 | 4778 |
| 4/13 | मैसर्ज शम्मी फ्रूट कम्पनी, धर्मशाला | 7625 | 6193 | 1432 |
| 4/13 | मैसर्ज गणेश फ्रूट कम्पनी, धर्मशाला | 5541 | 1900 | 3641 |
| 4/13 | मैसर्ज गुरू फ्रूट कम्पनी, धर्मशाला | 8696 | 6395 | 2301 |
| 4/13 | मैसर्ज मनोज कुमार फ्रूट कम्पनी धर्मशाला | 11605 | 0 | 11605 |
| 4/13 | मैसर्ज तेजपाल फ्रूट कम्पनी, धर्मशाला | 9966 | 5555 | 4411 |
| 4/13 | मैसर्ज पंकज फ्रूट कम्पनी, कांगडा | 30786 | 6100 | 24686 |
| 4/13 | मैसर्ज सचिन फ्रूट कम्पनी, कांगडा | 3023 | 2022 | 1001 |
| 4/13 से 7/13 | मैसर्ज वेदिका अण्डा स्टोर, कांगडा | 26194 | 19500 | 6694 |
| 6/13 से 7/13 | मैसर्ज सैन्टी चिकन स्टोर कांगडा | 10792 | 6500 | 4292 |
| 6/13 से 7/13 | मैसर्ज शिवा पोल्ट्री फार्म, कांगडा | 22022 | 12500 | 9522 |
| 9/13 | मैसर्ज आर0के0 टीम्बर इन्डस्ट्रीज जसूर | 5719 | 1851 | 3868 |
| | **योग** | **207125** | **97425** | **109700** |

## 10 मैसर्ज पप्पू चिकन कार्नर काँगड़ा से कम्पाऊंड फीस न वसूलने बारेः–

आडिट द्वारा अभिलेख की जांच करने पर यह पाया गया कि ₹7410 की उक्त फर्म वर्ष 2013–14 में पंजीकृत नहीं थी जबकि चैकपोस्ट कन्डवाल के आवक–जावक रजिस्टर के अनुसार उक्त फर्म ने अवधि 1.4.13 से 30.4.13 के दौरान कुल ₹148200/– के चिकन का आयात किया गया था। नियमानुसार फर्म के लाईसैन्सधारक न होने के कारण चैकपोस्ट पर ही 5**%** की दर से कम्पाऊंड शुल्क की ₹7410/– की वसूली की जानी अपेक्षित थी, लैकिन चैकपोस्ट पर कम्पाउंड शुल्क वसूल नहीं की गई जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर0ए0एस0के0एम0सी0/13–17 दिनांक 01.07.2013 द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा को अवगत करवाया गया था परन्तु उनके द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भो कार्रवाई अमल

में नही लाई गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि संस्था स्तर पर जांच करके उक्त फर्म द्वारा अवधि 01.04.13 से 30.04.13 के दौरान किये गये व्यापार क आधार पर नियमानुसार कम्पाउंड शुल्क की ₹7410/– की वसूली करके समिति निधि में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**11 मार्केट फीस के निर्धारण (असैसमेन्ट) करने बारेः–**

अकेंक्षण अधियाचना सख्यां आर0ए0एस0के0एम0सी0/14–30 दिनांक 28.07.2014 एवं अधियाचना संख्या आर0ए0एस0के0एम0सी0/14–32 दिनांक 09.10.2014 द्वारा सचिव, कृषि उपज समिति, कांगडा से चैकपोस्टों की वर्ष 2013–14 की फल एवम सब्जियों की आयात निर्यात विवरणियों को सम्बन्धित अभिलेख सहित आवश्यक जाँच हेतु अकेंक्षण में उपलब्ध करवाने हेतु अनुराध किया गया जिस बारे सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा द्वारा कार्यालय पत्र सख्ंया के0एम0सी0 आडिट–2014-15-932 दिनांक 19.08.2014 तथा पत्र संख्या के0एम0सी0 –2-10/07-Vol-IV-1710 दिनाँक 6.01.2015 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्ष 2013–14 की असैसमैन्ट का कार्य अभी चला हुआ है जिस कारण सम्बन्धित रिकार्ड असैसमैन्ट कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही उपलब्ध करवाया जा सकता है। अतः परामर्श दिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश कृषि एवम औद्यानिकीय उपज विपणन विधेयक 2005 के अनुसार असैसमेन्ट के उपरान्त बकाया मार्केट फीस (यदि हो) की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये तथा सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत किए जाएं।

**12 किसान विश्रामगृह, ज्वालाजी, बैजनाथ व धर्मशाला के कार्यन्वयन बारेः–**

आडिट द्वारा रिकार्ड की जांच करने पर पाया गया धर्मशाला में किसान विश्रामगृह का निर्माण किया गया है तथा विश्रामगृह के लिए पूर्ण सामान का भी क्रय भी किया गया है, परन्तु समिति द्वारा किसान विश्रामगृह का संचालन नही किया जा रहा है जिससे लाखों रूपये की लागत से निर्मित विश्रामगृह तथा उनके द्वारा खरीदे गये सामान का सदुपयोग नही हो रहा है। अतः आडिट द्वारा सुझाव दिया जाता है कि उपरोक्त विश्रामगृहों को कार्यन्वयन हतू उचित पग उठाये जाएं ताकि कृषि उपज समिति, कांगडा को किराये के रूप में आय प्राप्त हो सके तथा भविष्य में पूर्ण तथ्यों को ध्यान मे रखते हुए किसान विश्रामगृहों का निर्माण करवाया जाए।

**13 विभिन्न व्यापारियों से मण्डी शुल्क के रूप में ₹317780/– की वसूली करने बारेः–**

निवासी अंकेक्षण योजना द्वारा मण्डी शुल्क की देय वसूली के विभिन्न मामले अंकेक्षण अधियाचनाओं के माध्यम से सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा के ध्यान में लाये गये जिनमें से कुछ एक प्रकरणों पर सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा द्वारा कार्रवाई करते

हुए देय मण्डी शुल्क को वसूलियाँ सम्बन्धि फर्मों से करके समिति निधि में जमा करवा दी गई, जिनकी जांच व पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताएं न दोहराई जाएं। वसूल की गई राशियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:—

| फर्म का नाम | अवधि | रसीद संख्या | दिनांक | अधियाचनाओं द्वारा वसूली गई राशि |
|---|---|---|---|---|
| मैसर्ज लक्ष्मी फ्रूट कम्पनी बैजनाथ | 3/2013 | 60531 | 13.6.13 | 2369 |
| मैसर्ज गगन फ्रूट कम्पनी बैजनाथ | 3/2013 | 60438 | 30.5.13 | 1698 |
| मैसर्ज यंग फार्मर सोसाईटी पालमपुर | 10/2012 से 3/2013 | 60483 | 4.6.13 | 3725 |
| मैसर्ज दुर्गा फ्रूट कम्पनी पालमपुर | 3/2013 | 60471 | 1.6.13 | 3683 |
| मैसर्ज महाजन फ्रूट कम्पनी, पालमपुर | 3/2013 | 60485 | 4.6.13 | 2899 |
| मैसर्ज राजीव टिम्बर पालमपुर | 8/2013 से 10/2013 | 67233 | 31.3.14 | 16271 |
| मैसर्ज अम्बिका टिम्बर पंचरूखी | 6/2013 से 11/2013 | 70097 | 27.5.14 | 318 |
| मै0 त्रिशा फ्रूट कम्पनी, काँगड़ा | 3/13 | 68318 | 23.1.14 | 9760 |
| मैसर्ज दाती होई दयाल फ्रूट कम्पनी कांगडा | 3/13 | 61411 | 18.5.13 | 3170 |
| मैसर्ज माँ ज्यन्ति केला सप्लायर, काँगड़ा | 11/12 से 3/13 | 60123 | 20.5.13 | 3957 |
| मैसर्ज रीत फ्रूट कम्पनी कांगडा, बैजनाथ | 3/13 | 61813 | 27.6.13 | 5253 |
| मैसर्ज विशाल फ्रूट कम्पनी जसूर | 4/13 | 60857 | 17.5.13 | 1311 |
| मै0 तिलक राज फ्रूट कम्पनी जसूर | 4/13 | 60879 | 17.5.13 | 3883 |
| मै0 रविन्द्र कुमार फ्रूट कम्पनी, जसूर | 4/13 | 60862 | 17.5.13 | 2973 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| मै0 सतीष कुमार, रविन्द्र कुमार, जसूर | 4/13 | 60864 | 17.5.13 | 101 |
| मैसर्ज चौधरी फ्रूट कम्पनी जसूर | 4/13 | 60874 | 17.5.13 | 2125 |
| मैसर्ज अनिल कुमार, जसूर | 4/13 | 60883 | 17.5.13 | 3270 |
| मैसर्ज देविन्द्र कुमार, जसूर | 4/13 | 60875 | 17.5.13 | 131 |
| मैसर्ज पठानियाँ फ्रूट कम्पनी, जसूर | 4/13 | 60880 | 17.5.13 | 1581 |
| मै0 नितिका फ्रूट कम्पनी, जसूर | 4/13 | 60869 | 17.5.13 | 183 |
| मै0 न्यू शिवा जी फ्रूट कम्पनी | 4/13 | 95378 | 6.12.14 | 4705 |
| मैसर्ज लक्ष्मी फ्रूट कम्पनी बैजनाथ | 4/13 | 95377 | 29.11.14 | 1407 |
| मैसर्ज ए0एस0 कुमार, फ्रूट कम्पनी | 4/13 | 95401 | 23.12.14 | 10334 |
| मैसर्ज विशाल फ्रूट कम्पनी | 4/13 | 95376 | 29.11.14 | 4805 |
| मैसर्ज रीत फ्रूट कम्पनी बैजनाथ | 4/13 | 69957 | 22.7.14 | 31406 |
| मैसर्ज महाजन फ्रूट कम्पनी, बैजनाथ | 4/13 | 74489 | 31.10.14 | 31894 |
| मैसर्ज जय माँ ट्रेडिंग ज्वालामुखी | 4/13 | 71556 | 29.1.15 | 890 |
| मैसर्ज हिमाचल फ्रूट एजैन्सी, काँगड़ा | 4/13 | 60147 | 30.5.13 | 3032 |
| मैसर्ज शंकर फ्रूट कम्पनी, काँगड़ा | 4/13 | 57778 | 22.6.13 | 1164 |
| मैसर्ज पूजा फ्रूट कम्पनी बैजनाथ | 4/13 | 76391 | 30.10.14 | 54602 |
| मैसर्ज दाती होई दयाल कम्पनी, कांगडा | 4/13 | 62047 | 14.6.13 | 3134 |
| मैसर्ज राकेश सोनी फ्रूट कम्पनी काँगड़ा | 4/13 | 69923 | 21.7.14 | 4300 |
| मैसर्ज अजय फ्रूट | 4/13 | 60136 | 28-5-13 | 1179 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| कम्पनी कांगडा | | | | |
| मैसर्ज सोनम फ्रूट कम्पनी, काँगड़ा | 4/13 | 60137 | 28-5-13 | 1300 |
| मैसर्ज तृषा फ्रूट कम्पनी, काँगड़ा | 4/13 | 76626, 76286, 76317, 76365 | 18-9-14, 9-10-14, 16-10-14, 30-10-14 | 22640 |
| मैसर्ज वालिया फ्रूट कम्पनी कांगडा | 4/13 | 60167 | 5-6-13 | 1438 |
| मैसर्ज जयन्ती केला सप्लाई, काँगड़ा | 4/13 | 710120 | 12-5-14 | 59192 |
| मैसर्ज ब्रजेश्वरी केला सप्लाई, काँगड़ा | 4/13 | 69926 | 22-7-14 | 11700 |
| | | | | **₹317780** |

## 14 चैक पोस्टों की तिथिवार आयात–निर्यात विवरणियों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारेः–

मण्डी समिति द्वारा चैकपोस्टों की माहवार आयात निर्यात विवरणियाँ (फल एवम सब्जियों को छोड़कर) ही अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध करवाई जा रही है जिस कारण आयात की गई विभिन्न वस्तुओं के भार, मात्रा, मूल्य एवम तिथिवार जमा करवाई गई मार्किट फीस को पुष्टि नहीं की जा सकी। यह मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर0ए0एस0के0एम0सी0 13/8 दिनाँक 19.11.13 द्वारा सचिव मण्डी समिति काँगड़ा के ध्यान में लाया गया, परन्तु इस सन्दर्भ में उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अतः वाँछित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये।

## 15 स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारेः–

मण्डी समिति द्वारा वर्ष 2013–14 के विभिन्न स्टॉक रजिस्टर (स्टेशनरी/फार्म/स्टोर स्टॉक इत्यादि) जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिस कारण वर्ष 2013–14 के स्टॉक रजिस्टरो के अन्तशेषों इत्यादि की जाँच नहीं की जा सकी। यह मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर0ए0एस0के0एम0सी/14/23 दिनाँक 26.6.14 द्वारा सचिव मण्डी समिति काँगड़ा के ध्यान में लाया गया परन्तु उनके द्वारा सम्बन्ध में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अतः वर्ष 2013–14 के समस्त स्टॉक रजिस्टर आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाएं ताकि वर्ष 2013–14 के स्टॉक के अन्तशेषों की जाँच की जा सके।

## 16 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जानाः–

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि वर्ष 2013–14 के दौरान कृषि उपज समिति, काँगड़ा के स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया, जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियमावली के नियम 15.17 के अनुसार स्टॉक में पड़े समस्त सामान का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। यह मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर0ए0एस0के0एम0सी0/14/31 दिनाँक 28.7.14 द्वारा सचिव मण्डी समिति कागड़ा के ध्यान में लाया गया परन्तु उनके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि अविलम्ब प्रत्यक्ष सत्यापना करके भविष्य में भी प्रत्यक्ष सत्यापना सुनिश्चित की जाये।

## 17 अंकेक्षण के दौरान की गई कटौतियों बारे

अंकेक्षण अवधि के दौरान अंकेक्षण में गलत भुगतान हेतु प्रस्तुत किये बिलों में से ₹19976/– की कटौती की गई जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति द्वारा विभिन्न रिकार्डों की जाँच सही व नियमित तौर पर नहीं की जा रही थी। अतः कृषि उपज समिति, काँगड़ा को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में आन्तरिक जाँच को और सुदृढ़ किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 **लघु आपति विवरणः**—यह अलग से जारी नहीं की गई।

19 **निष्कर्ष** :— लेखों में सुधार एवं कडे निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0) एच(2) सी (15)(14)76/84 खण्ड–9–2219–22 दिनांक,11.05.15 शिमला–9
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

**पंजीकृतः** 1 सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

2 प्रबन्ध निदेशक, विपणन बोर्ड, विपणन भवन खलीनी, शिमला–171002

3 अवर सचिव (कृषि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002

4 श्री राजवीर सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा..................

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

## कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा जिला कांगडा

## परिशिष्ट "A"

### (पैरा 1 (घ) के सन्दर्भ में)

**1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–**

कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा के अवधि 4/85 से 3/13 तक के, 19 अंकेक्षण प्रतिवेदनों के कुल 75 पैरे लम्बित थे। वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान लम्बित पैरों के निपटारे /सैटलमैन्ट हेतू मण्डी समिति, कांगडा एवम् अंकेक्षण द्वारा कुछ प्रयास किये गये जिसके फलस्वरूप कुल लम्बित पैरों में से 24 पैरों को मौके पर सैटल किया गया। शेष 51 लम्बित पैरों में उठाई गई आपतियों के अनुसार मण्डी शुल्क के रूप में लाखों रूपयों की वसूलियां न करना, ठेकेदारों को किये गये अनियमित भुगतानों, दुकानों के किराये व अन्य अनेक मामलों में उजागर की गई वसूलियों की वसूली न करना शामिल है। अतः अंकेक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से अंकेक्षण द्वारा उजागर करने के वावजूद ऐसी गम्भीर अनियमिताओं पर विभाग द्वारा प्रभावी ढंग से कार्रवाई न करना बहुत बडी लापरवाही है जिसके फलस्वरूप मण्डी समिति को भारी वित्तोय हानि उठानी पड सकती है क्योंकि लम्बी समय अवधि बीत जाने के कारण इन वसूलियों को प्रभावित करना मुश्किल होगा। अतः वित्तीय अनियमिताओं एवम् वसूलियों से सम्बन्धित सभी पैरों के निपटारे हेतू प्रभावी ढंग से कार्रवाई करनी अति आवश्यक है जिसके लिए तुरन्त कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना की सूचना समय–2 पर इस कार्यालय को भेजी जाये। शेष बचे आडिट पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

**अंकेक्षण प्रतिवदन अवधि 4/85 से 3/88**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा-9(XI) | निर्माण कार्यों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण रिकार्ड जैसे, माप पुस्तिका, प्रांकलन Completion report आदि को जांच हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे। | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा-9(XII) | निर्माण कार्यों पर स्टील, सीमेन्ट, ईटों व रेत बजरी की खपत बारे। | अनिर्णीत |

**अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/88 से**

**3/90**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा-5(36) | गाडी संख्या एच.पी.एम. 5152 द्वारा 11.2. 1989 से 11.4.1989 तक की गई निजि यात्रा (159 कि0मी0) की के प्रभार की वसूली न करना। | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा-5(37) | निर्माण कार्यों के लिए किये गये भुगतानों से सम्बन्धित रिकार्ड को जांच हेतू प्रस्तुत न करने बारे। | अनिर्णीत |
| | | **अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/91** | |
| 1 | पैरा-6(16) | निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार को किये गये ₹83,803.00 के भुगतान के एवज में सम्बन्धित रिकार्ड को जांच हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना। | अनिर्णीत |
| | | **अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/92** | |
| 1 | पैरा–14 | ठेकेदारों को उनके बिलों में गलत गणना करके किये गये अधिक भुगतान की राशि ₹1,22,397.00 की वसूली न करना। | अनिर्णीत |
| | | **अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/96** | |
| 1 | पैरा-5(V) | 31 मामलों में मण्डी शुल्क की वसूली न करना। | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा-6(8)(ग) | न्यायालय के आदेशों के बावजूद श्री विनोद कुमार से मण्डी शुल्क के रूप में ₹30,000/– की वसूली न करना। | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा-6(XXV) | मण्डी याड के निर्माण के लिये श्री केवल | निर्णीत (कार्रवाई देख ली |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (क) | कृष्ण ठेकेदार को किये गये ₹20,000/– के भुगतान के सम्बन्ध में अनियमितताओं बारे। | | गई है) |
| 4 | पैरा-6(XXV) (ख) | मण्डी याड के निर्माण के लिये समय में बढ़ौतरी बारे। | अनिर्णीत | |
| 5 | पैरा-6(XXVI) (क) | सब्जी मण्डी के लिये बनाये गये लिंक रोड के कार्य के लिये किये गये भुगतान राशि ₹35424/– में अनियमितताओं बारे । | निर्णीत | (कार्रवाई देख ली गई है) |
| 6 | पैरा-6(XXVI) (ख) | सब्जी मण्डी के लिये बनाये गये लिंक रोड के कार्य के लिये समय में बढ़ौतरी बारे। | अनिर्णीत | |
| 7 | पैरा-6 (XXVIII) | दुकानों की मुरम्मत के कार्य को श्री वी.पी. सिंह ठाकुर को कार्य आबंटित/आर्वाड करने के मामले में अनियमितताओं बारे। | अनिर्णीत | |
| | | **अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/99** | | |
| 1 | पैरा–10(घ) | 2115 ईटों के मूल्य की वसूली न करना | निर्णीत | (कार्रवाई देख ली गई है) |
| 2 | पैरा–11 | ₹2,39,050.00 के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित रिकार्ड एवम् इन कार्यों की प्रशासनिक एवम् तकनीकी स्वीकृति की अंकेक्षण म जांच न करवाना। | अनिर्णीत | |
| | | **अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2000** | | |
| 1 | पैरा–12(क)(1 से 5) | एक ही आदमी की उसी अवधि के दौरान एक से ज्यादा मस्टोलों पर हाजिरी लगाकर अनियमित भुगतान करने बारे। | अनिर्णीत | |
| 2 | पैरा–14(क) | माप पुस्तिका (MB) संख्या 1937 के पृष्ठों को बीच में खाली रखने के सम्बन्ध में (पृष्ठ | निर्णीत | (कार्रवाई देख ली गई है) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | संख्या 46–50 व 77–78) | | |
| 3 | पैरा–15(1व 2) | ₹1,47,057 / – के निर्माण कार्य में उठाई गई गम्भीर आपतियों बारे। बांछित रिकार्ड को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे। | अनिर्णीत | |
| | | **अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4 / 2001 से 3 / 2002** | | |
| 1 | पैरा–15 | श्री पवन काजल ठेकेदार से बिक्री कर एवम् आयकर के रूप में ₹9914.00 की वसूली न करने बारे । | निर्णीत | (कार्रवाई देख ली गई है) |
| | | **अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4 / 2002 से 3 / 2003** | | |
| 1 | पैरा-9(क) | श्री पवन काजल ठेकेदार से नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर एवम् विक्रय कर के रूप में ₹15257.00 की वसूली न करना। | निर्णीत | (कार्रवाई देख ली गई है) |
| 2 | पैरा–10 | ₹2,20,190.00 के निर्माण कार्यों की AE & ES ( प्रशासनिक एवम् तकनीकी स्वीकृति बार) | अनिर्णीत | |
| | | **अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4 / 2003 से 3 / 2004** | | |
| 1 | पैरा–10 | अनुबन्ध पर रखे गये कर्मचारियों की स्वीकृति बारे। | अनिर्णीत | |
| | | **अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4 / 2004 से 3 / 2005** | | |
| 1 | पैरा–4 | मण्डी श्ल्क के रूप में ₹3,86,828 / – की कम वसूली करना। | अनिर्णीत | |
| 2 | पैरा–10 | ₹6804 / – के भुगतान की स्वीकृति एवम् एम.बी. व एम.ए.एस. में प्रविष्टियों बारे। | अनिर्णीत | |
| 3 | पैरा–11 | ₹13,975 / – के भुगतान की स्वीकृति एवम् सम्बन्धित सम्पूर्ण रिकार्ड का अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे। | अनिर्णीत | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | पैरा–14 | ₹5,22,471/– के निर्माण कार्यों के Completion Certificate व कार्य सम्पूर्ण होने के पश्चात् निर्मित भवन को Handover करन बारे। | अनिर्णीत | |

**अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–8 | मण्डी शुल्क के रूप में ₹14601/– की कम वसूली करना। | निर्णीत | (कार्रवाई देख ली गई है) |
| 2 | पैरा–9 | मण्डी शुल्क की वसूली न करना। | निर्णीत | (कार्रवाई देख ली गई है) |
| 3 | पैरा–13 | कुल 98 व्यापारियों से मण्डी शुल्क की वसूली न करना। | अनिर्णीत | |
| 4 | पैरा–14 | मण्डी समिति, कांगडा द्वारा लाईसैंसो के नवीकरण में ढील बरतने बारे। | अनिर्णीत | |
| 5 | पैरा–15(ग) | मण्डी शुल्क की वसूली बारे। | अनिर्णीत | |

**अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–5 | मैसर्ज सागरिका डेयरी पालमपुर से दूध के आयात पर मण्डी शुल्क के रूप में ₹9926.00 की कम वसूली करने बारे। | अनिर्णीत | |
| 2 | पैरा–7 | मै0 जितेन्द्र कुमार अजय कुमार शाहपुर से ₹6650.00 की वसूली कर ली है लेकिन मै0 पवन काजल ठेकेदार से ₹37,258/– की वूसली शेष है जिसे तुरन्त करने के लिए आवश्यक पग उठाये जायें। | आंशिक निर्णीत | |
| 3 | पैरा–11 | कांगडा मण्डी यार्ड में लाईसैंस जारी करने में नियमों की अवहेलना करके एक से अधिक लाईसैंस जारी करना। | निर्णीत | (कार्रवाई देख ली गई है) |
| 4 | पैरा–12 | पुराने लाईसैंसों के नवीकरण में नियमों की | अनिर्णीत | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | अवहेलना करना। | | |
| 5 | पैरा–13 | कुल 47 व्यापारियों से उन्हें लाईसैंस जारी करने के फलस्वरूप वर्ष, 2006–07 के दौरान मण्डी शुल्क के रूप में कोई भी वसूली न करना। | अनिर्णीत | |
| 6 | पैरा–14(क) | मै0 पंजाब हिमाचल फ्रूट कम्पनी कन्दरोडी के मण्डी शुल्क की वसूली से सम्बन्धित रिकार्ड को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना। | अनिर्णीत | |
| 7 | पैरा–14(घ) | लाईसस के रिकार्ड को प्रस्तुत न करना। | अनिर्णीत | |
| 8 | पैरा–14(ड) | किरायेदार व लाईसैन्स के हस्तान्तरण बारे | अनिर्णीत | |

**अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–11 (क) | मण्डी शुल्क के रूप में ₹116344/– न वसूलने बारे। | अनिर्णीत | |
| 2 | पैरा–11 (ख) | मण्डी शुल्क के रूप में ₹73578/– न वसूलने बारे। | अनिर्णीत | |
| 3 | पैरा–12 | मण्डी शुल्क के रूप में ₹45539/– न वसूलने बारे। | अनिर्णीत | |
| 4 | पैरा–13 | मैसर्ज सरियाल टिम्बर से मण्डीष्शुल्क के रूप में ₹42728/– न वसूलने बारे । | निर्णीत | (कार्रवाई देख ली गई है) |
| 5 | पैरा–18 | मैसर्ज चैना राम सन्त राम से ₹23993/–न वसूलने बारे। | अनिर्णीत | |
| 6 | पैरा–20 (क, ख) | व्यापारियों का नियमानुसार लाईसैंस नवीकरण न करने बारे। | अनिर्णीत | |
| 7 | पैरा–21 (ख,घ व च) | रिकार्ड का आडिट में न प्रस्तुत करने बारे। | अनिर्णीत | |

**अंकेक्षण पतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–10 | मैसर्ज सरियाल टिम्बर, पंचरूखी से ₹21277/–मण्डी शुल्क वसूलने बारे । | निर्णीत | (कार्रवाई देख ली गई है) |
| 2 | पैरा–16 | मण्डी शुल्क के रूप में ₹68894/– की | अनिर्णीत | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | वसूली न करने के परिणामस्वरूप पांच गुणा वस्ली करना। | | |
| 3 | पैरा–17 | मैसर्ज बलदेव राज एण्ड कम्पनी, बैजनाथ से बकाया मण्डी शुल्क ₹8392/– वसूलने बारे। | निर्णीत | (कार्रवाई देख ली गई है) |
| 4 | पैरा–22 (ख) | आडिट में रिकार्ड न प्रस्तुत किया जाना। | अनिर्णीत | |

**अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पैरा.–15 | आलू के व्यापारियों से ₹158247/– का कम मण्डी शुल्क वसूलने बारे। | अनिर्णीत | |
| 2 | पैरा.–16 | उप सब्जी मण्डी जसूर में मैसर्ज लक्ष्मी फ्रूट कम्पनी व वैष्णो फ्रूट कम्पनी से ₹234739/–काकम्पांउड शुल्क न वसूलने बारे। | निर्णीत | (कार्रवाई देख ली गई है) |
| 3 | पैरा.–18 | मैसर्ज तुली ऐग स्टोर कांगडा से बकाया मण्डी शुल्क की ₹529030/–न वसूलने बारे। | अनिर्णीत | |
| 4 | पैरा–.21 | मैसर्ज निखिल टडर्ज, दूध विक्रेता, पालमपुर से बकाया मण्डी शुल्क ₹55612/– वसूलने बारे। | अनिर्णीत | |
| 5 | पैरा–22 | मैसर्ज आदर्श मिल्क, दूध विक्रेता, कांगडा से बकाया मण्डी शुल्क ₹79832/– वसूलने बारे। | अनिर्णीत | |

**अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–9 | दुकान आबंटन व किराया एग्रीमैंट से सम्बन्धित रिकार्ड न उपलब्ध करवाने बारे | अनिर्णीत | |
| 2 | पैरा–14 | निलामी रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे। | अनिर्णीत | |
| 3 | पैरा–17 | मै0 तुली ऐग स्टोर कांगडा से कम्पाउंड | अनिर्णीत | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | शुल्क के रूप में ₹32400/– की वसूली न करने बारे। | | |
| 4 | पैरा–22 | सब्जी मण्डी जसूर में मैसर्ज वैष्णो फ्रूट कम्पनी दुकान न 18 स कम्पांउड मण्डी शुल्क के रूप में ₹110132/– न वसूलने बारे। | निर्णीत | (कार्रवाई देख ली गई है) |

**अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–20 (क ख) | आडिट में रिकार्ड न प्रस्तुत किया जाना। | अनिर्णीत | |

**अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2013**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–3 | अंकेक्षण शुल्क की ₹556310 जमा करवाने बारे | निर्णीत | (बैंक ड्राफ्ट संख्या 407882 यू0वी0आई. दिनाँक 31.03.14 द्वारा जमा किया गया) |
| 2 | पैरा–4 | वित्तीय स्थिति | निर्णीत | पुनः प्रारूपित |
| 3 | पैरा–5 (2) | बैंक द्वारा सावधि जमा योजना पर कम ब्याज क्रेडिट करना | निर्णीत | (कार्रवाई देख ली गई है) |
| 4 | पैरा–6 | दुकानों के लम्बित किराये की वसूली न करना | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है) |
| 5 | पैरा–7 | मार्केट यार्ड कांगड़ा में निर्मित 6 कमरों के किराये की वसूली न करना | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है) |
| 6 | पैरा–8 | चैक पोस्ट पर दर्ज आयातित मूल्य के आधार पर मण्डी शुल्क की कम वसूली करना | निर्णीत | (पंकज फ्रूट कम्पनी काँगड़ा से वसूली शेष है) |
| 7 | पैरा–9 | मैसर्ज गौरव चिकन कार्नर पालमपुर से मार्केट फीस की वसूली न करना | निर्णीत | (कार्रवाई देख ली गई है) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | पैरा–10 | बिना सहमति पत्र के सामान हस्तांतरित करने बारे | निर्णीत | (कार्रवाई देख ली गई है) |
| 9 | पैरा–11 | मार्केट फीस के निर्धारण (असैसमैन्ट) करने बारे | निर्णीत | (कार्रवाई देख ली गई है) |
| 10 | पैरा–12 | मैसर्ज सोनम फ्रूट कम्पनी काँगड़ा के प्रोपराईटर/आंबटक बदलने बारे | अनिर्णीत | |
| 11 | पैरा–13 | मण्डी समिति काँगड़ा की दुकान नं0 07 के आंबटक बदलने बारे | अनिर्णीत | |
| 12 | पैरा–14 | वास्तविक आंबटकों के स्थान पर अन्य व्यक्तियों को दुकान का आंबटन करने बारे | अनिर्णीत | |
| 13 | पैरा–15 | दुकानों का किराया कम करने बारे | निर्णीत | (कार्रवाई देख ली गई है) |
| 14 | पैरा–16 | किसान विश्रामगृह, ज्वालाजी, बैजनाथ व धर्मशाला के कार्यन्वयन बारे | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है) |
| 15 | पैरा–17 | अंकेक्षण के दौरान व्यापारियों से मण्डी शुल्क के रूप में वसूल की गई ₹245742/– बारे | निर्णीत | (कार्रवाई देख ली गई है) |
| 16 | पैरा–18 | अंकेक्षण के दौरान की गई कटौतियों बारे | निर्णीत | (कार्रवाई देख ली गई है) |

| **अनिर्णीत पैरों का सार** | |
|---|---|
| गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनुसार अनिर्णीत पैरे | 76 |
| वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में लगाए गए पैरे | (+) 15 |
| वर्ष अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे | (–)27 |
| अन्तशेष (दिनाँक 31.3.14 तक) | 64 |